भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2617
जिसका उत्तर मंगलवार, 09 दिसम्बर, 2014 को दिया जाना है

**कलपुर्जों का विनिर्माण**

**2617. श्री एन. के. प्रेमचंद्रन:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मोटर वाहन कंपनियों द्वारा कलपुर्जों के पर्याप्त विनिर्माण हेतु कोई शर्तें निर्धारित की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा कलपुर्जों का उत्पादन न किए जाने के कारण वाहनों की मरम्मत के लिए कलपुर्जे उपलब्ध नहीं हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या उन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जो कलपुर्जों के पर्याप्त मात्रा में निर्माण में असफल हो गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई की हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री**
**(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)**

**(क) से (ग):** जी, नहीं। ऑटो कंपोनेन्ट्स और कलपुर्जों के विनिर्माण से न केवल देश की घरेलू आवश्यकताएं पूरी होती हैं, अपितु इन कंपोनेन्ट्स का काफी मात्रा में निर्यात् भी किया जाता है। सरकार ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2006-16, यूनिडो-एक्मा क्लस्टर कार्यक्रम आदि जैसी योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाले कंपोनेन्ट्स के उत्पादन के लिए ऑटोमोबाइल कंपोनेन्ट्स विनिर्माण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है और प्रोत्साहित करती है।

**(घ) और (ङ):** सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

******